Table

Sl. No.	**Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished**	**Time period for furnishing details in FORM GSTR-1**
1	**2**	**3**
1	April –June, 2019	31st July, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 12/2019–राज्य कर

शिमला–2 28 मार्च, 2019

संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2019.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के द्वारा, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त 1.5 करोड़ रूपयों से अधिक है, अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उस मास के उत्तरवर्ती मास के 11 वें दिन तक हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–1 में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने की समय सीमा को विस्तारित करते हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से जून, 2019 मास के लिए यथास्थिति, ब्यौरे या विवरणी देने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2019 dated 28-03-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 12/2019-State Tax

Shimla-2, *the* 28*th* *March,* 2019

No. EXN-F(10)-5/2019.—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub section (1) of section 37 read with section 168 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** under the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, for each of the months from April, 2019 to June, 2019 till the eleventh day of the month succeeding such month.

2. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under subsection (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2017 to June, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

By order,
JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 13 / 2019—राज्य कर

शिमला—2 28 मार्च, 2019

संख्याः ई.एक्स.एन.—एफ.(10)—5 / 2019.——हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 61 के उप—नियम (5) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि अप्रैल, 2019 से जून 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

2. **प्ररूप जीएसटीआर—3ख के अनुसुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर का संदायः**——उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अध्यधीन, कर, ब्याज, शास्ति, फीस या उक्त अधिनियम के अधीन संदेय किसी अन्य रकम का प्रथम पैरा में यथाविनिर्दिष्ट अंतिम तारीख के अपश्चात् जिसको उससे उक्त विवरणी अपेक्षित है, यथास्थिति, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन द्वारा अपने कर का उन्मोचन करेगा।

आदेश द्वारा,
जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-5/2019 dated 28-03-2019 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 13/2019-State Tax